प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ दिनॉक 22 फरवरी, 2016

विषय- अधीनस्थ कृषि सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में वर्ग-2 में प्रदान की गयी काल्पनिक पदोन्नति के फलस्वरूप किये गये वेतन निर्धारण के मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूलनियम-27 के अन्तर्गत निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 को वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ए0बी0(2)/390/वि0-एक(4)/का0पदो0/वि0स्वी0, दिनॉक 18-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा नोशनल पदोन्नति किये जाने के आदेश दिये गये हों तथा उक्त आदेश के विधिक प्रतिवाद का कोई विकल्प नही रहा हो, जिसके फलस्वरूप मा0 न्यायालय के आदेश विधिक रूप से बाध्यकारी हो चुके हों और नोशनल पदोन्नति के फलस्वरूप निर्धारित वेतन के आधार पर सेवानैवृत्तिक लाभ दिया जाना भी बाध्यकारी हो, उनमें मूलनियम-27 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का अधिकार इस शर्त के साथ कृषि निदेशक को प्रतिनिधानित कर दिया जाय कि वे वित्त नियंत्रक की सहमति प्राप्त करते हुए उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण करें। उक्त प्रतिनिधायन अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त वर्ष-1977 एवं वर्ष-1980 में प्रभावी अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली के प्राविधानों के अधीन प्रदान की गयी/की जा रही नोशनल पदोन्नति के प्रकरणों मात्र पर ही लागू होगा। उक्त निर्णय वित्त विभाग की सहमति/अनुमोदन से लिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-03/2016/205(1)/12-4-2016 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) गृह गोपन अनुभाग-1

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-2/3

(4) अपर कृषि निदेशक (प्रशा0), उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से

(कृपा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।